प्रेस विज्ञप्ति
14/08/2025

अपराध की आय (पीओसी) को वैध दावेदारों तक वापस पहुंचाने के अपने प्रयास में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स डायनेमिक शेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स डायनेमिक शेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक श्री अशोक कुमार गुप्ता को 12.79 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां वापस की हैं।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और पीसी अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स डायनेमिक शेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक से 29.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी संख्या आरसीबीडीआई2014/ई/0003 दिनांक 21/01/2014 के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि जालसाजी और धोखाधड़ी के अपराध से अर्जित आय की अन्य फर्जी कंपनियों/फर्मों के खातों के माध्यम से हेराफेरी की गई, जिन्हें या तो आगे नकद में निकाल लिया गया या मेसर्स डायनेमिक शेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शंभू प्रसाद सिंह के निजी खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। पीएमएलए के तहत जाँच के दौरान, 29/03/2017 के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) के माध्यम से पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत 21.29 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियाँ अनंतिम रूप से कुर्क की गईं। इसके अलावा, शंभू प्रसाद सिंह और अन्य के विरुद्ध इस मामले में दिनांक 18/07/2018 को एक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई।

इस बीच, परिसमापक श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा माननीय ट्रायल कोर्ट में 15/02/2025 को पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें 12.79 करोड़ मूल्य की कुर्क संपत्ति अर्थात 35, सेक्टर-3, औद्योगिक विकास केंद्र, बावल, हरियाणा में स्थित भूमि एवं भवन (दो मंजिला), औद्योगिक शेड और मशीनरी की वापसी का अनुरोध किया गया। पंजाब नेशनल बैंक ने भी उक्त संपत्ति पर अपना नियंत्रण परिसमापक के पक्ष में छोड़ दिया। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क की गई संपत्तियों को परिसमापक को वापस करने पर सहमति व्यक्त की है।

तदनुसार, माननीय ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 05/06/2025 के आदेश के तहत उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया और 12.79 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस कर दीं।